संख्या 4/2015/बी-2-869/दस-2015-1-2014

(नगर विकास अनुभाग-9, पत्रावली संख्या-1तृतीय रा.वि.आ./11)

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2015

विषय- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नागर स्थानीय निकायों को मलिन बस्तियों के सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 की 1 प्रतिशत की धनराशि स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन को प्रेषित आपके पत्र संख्या-8/3348/मानक तृ0रा0वि0आ0/1 प्रतिशत/2014-15, दिनांक 19 फरवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में मलिन बस्तियों के सुधार हेतु सम्बन्धित नागर स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) को वित्तीय वर्ष 2014-15 की 1 प्रतिशत धनराशि रूपये 5775.00 लाख में से रूपये 4292.75035 (रूपये बयालीस करोड़ बानवे लाख पचहत्तर हजार पैंतीस मात्र) निम्नानुसार दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र. सं.	निकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रूपयों में)
1.	13 नगर निगमों हेतु	2310.00000
2.	112 नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों हेतु	1504.02714
3.	175 नगर पंचायतों हेतु	478.72321
	योग	4292.75035

2-उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही हैः-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार पात्र निकायों को धनराशि आवंटित की जायेगी।

(2) धनराशि का आहरण सम्बन्धित जनपदों से किये जाने की स्थिति में, निकाय द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले देयक को नगर निगमों हेतु संबंधित मण्डलायुक्त एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

(3) धनराशि को आहरित कर राज्य वित्त आयोग की गाइड लाइन्स के अनुसार व्यय किया जायेगा तथा उक्त प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यक्रम/मद पर नहीं व्यय किया जायेगा।

(4) निकायों द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रेषित की जायेगी तथा निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रमशः-2

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगाः-

क्र.सं	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष	धनराशि (लाख रूपयों में)
1.	नगर निगमों हेतु	''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर- 191-नगर निगमों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन''	2310.00000
2.	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों हेतु	''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर- 192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन''	1504.02714
3.	नगर पंचायतों हेतु	''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 0301-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन''	478.72321
		योग	4292.75035

भवदीय,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

संख्या 4/2015/बी-2-869(1)/दस-2015-1/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in